

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2024—कार्तिक 24, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गोहद, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

गोहद, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्र. स्था.—2024—भर्ती—2006.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के अनुबन्धों के अधीन नगरपालिका परिषद्, गोहद, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची—एक

नगरपालिका परिषद् गोहद, जिला भिण्ड

अनुसूची-दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिये कुल स्वीकृत पद संख्या	योग निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकन किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या	योग	रिमार्क				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	तृतीय	सहायक ग्रेड 03 (नियमित)	14	14	1	1	0	0	0	1	
2.	चतुर्थ	जनसेवक (संविदा)	79	79	5	1	2	1	1	5	
योग :-			93	93	6	2	2	1	1	6	

प्रीतम सिंह मांझी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.